

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014—आषाढ़ 20, शक 1936

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्र. एफ 2 (क)-21-2014-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा अपराध शाखा, भोपाल को संगठित अपराध, व्यावसायिक अपराधियों द्वारा किये गये अपराध, गंभीर एवं अन्य अपराधों के अनुसंधान के लिये पुलिस थाना होना घोषित करता है.

यह पुलिस थाना अपराध शाखा भोपाल कहलायेगा, इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल (शहर) रेंज में समाविष्ट संपूर्ण क्षेत्र पर विस्तारित होगी.

क्र. एफ 2 (क)-21-2014-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा अपराध शाखा, जबलपुर को संगठित अपराध, व्यावसायिक अपराधियों द्वारा किये गये अपराध, गंभीर एवं अन्य अपराधों के अनुसंधान के लिये पुलिस थाना होना घोषित करता है.

यह पुलिस थाना अपराध शाखा जबलपुर कहलायेगा, इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता पुलिस अधीक्षक जबलपुर जिला में समाविष्ट संपूर्ण क्षेत्र पर विस्तारित होगी.

क्र. एफ 2 (क)-21-2014-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा अपराध शाखा, इंदौर को संगठित अपराध, व्यावसायिक अपराधियों द्वारा किये गये अपराध, गंभीर एवं अन्य अपराधों के अनुसंधान के लिये पुलिस थाना होना घोषित करता है.

यह पुलिस थाना अपराध शाखा इंदौर कहलायेगा, इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) रेंज में समाविष्ट संपूर्ण क्षेत्र पर विस्तारित होगी.

क्र. एफ 2 (क)-21-2014-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा अपराध शाखा, ग्वालियर को संगठित अपराध, व्यावसायिक अपराधियों

द्वारा किये गये अपराध, गंभीर एवं अन्य अपराधों के अनुसंधान के लिये पुलिस थाना होना घोषित करता है।

यह पुलिस थाना अपराध शाखा ग्वालियर कहलायेगा, इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता पुलिस अधीक्षक ग्वालियर जिला में समाविष्ट संपूर्ण क्षेत्र पर विस्तारित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव।

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्र. एफ 2 (क)-21-2014-बी-3-दो.—भारत के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-(क)-21-2014-बी-3-दो, दिनांक 11 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव।

Bhopal, the 11th July 2014

No. F. 2(A)-21-2014-B-3-II.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal procedure, 1973, Act no of 1974, the State Government hereby, declares the Crime Branch Bhopal to be a Police Station for the purpose of investigation of cases of Organized Crimes, Crime Committed by professional Criminals, Heinous Offences and other cases. The said Police Station shall be called the Crime Branch Police Station Bhopal and its territorial jurisdiction shall be co terminus with the jurisdictional area of DIG, (city) Bhopal Range.

No. F. 2(A)-21-2014-B-3-II.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal procedure, 1973, Act no of 1974, the State Government hereby, declares the Crime Branch Jabalpur to be a Police Station for the purpose of investigation of cases of Organized Crimes, Crime Committed by professional Criminals, Heinous Offences and other cases. The said Police Station shall be called the Crime Branch Police Station Jabalpur and its territorial jurisdiction shall be co terminus with the jurisdictional area of SP Jabalpur District.

No. F. 2(A)-21-2014-B-3-II.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal procedure, 1973, Act no of 1974, the State Government hereby, declares the Crime Branch Indore to be a Police Station for the purpose of investigation of cases of Organized Crimes, Crime Committed by professional Criminals, Heinous Offences and other cases. The said Police Station shall be called the Crime Branch Police Station Indore and its territorial jurisdiction shall be co terminus with the jurisdictional area of DIG, (city) Indore Range.

No. F. 2(A)-21-2014-B-3-II.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal procedure, 1973, Act no of 1974, the State Government hereby, declares the Crime Branch Gwalior to be a Police Station for the purpose of investigation of cases of Organized Crimes, Crime Committed by professional Criminals, Heinous Offences and other cases. The said Police Station shall be called the Crime Branch Police Station Gwalior and its territorial jurisdiction shall be co terminus with the jurisdictional area of SP Gwalior District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.